Bill No. 18 of 2019

THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In second proviso to sub-section (1) of section 5 of the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956), for the existing expression "such amount not exceeding rupees five thousand per month as may be notified by the Government from time to time.", the expression "rupees ten thousand per day." shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is seen that Ex-Ministers do not vacate the official residences allotted to them even after the prescribed period is over. This causes difficulty in allotment of suitable residences to the newly appointed Ministers. As per the existing provision, for non-vacation of the official residence by the Ex-Ministers after the expiry of the prescribed period of two months, the Ministers are liable to pay, as damages for the use and occupation thereof, an amount not exceeding rupees five thousand per month. This amount is very meagre. Therefore, it is proposed that if Ex-Minister does not vacate the official residence after the expiry of the aforesaid prescribed period, he shall be liable to pay damages for the use and occupation of the official residence at the rate of rupees ten thousand per day. Accordingly, amendment is proposed.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES ACT, 1956

(Act No. 43 of 1956)

XX XX XX XX XX XX XX

5. Residence and conveyance.- (1) With effect from the date referred to in section 3, each Minister shall also be entitled from the state Government without payment of rent or other charge, to the use, throughout his term of office, of-

(a) an official residence and furniture in Jaipur, and

(b) a State car,

and no charge shall fall on the minister personally in respect of the maintenance of such residence, furniture or car:

Provided that each Minister shall be entitled to an official residence and furniture without payment of rent or other charge in Jaipur up to a period of two months from the date he ceases to be a Minister.

Explanation.- For the purpose of this section and section 5-A, the expression "official residence" means a residential building, the staff quarters, out house and other building, ground and garden appurtenant thereto set apart by the State Government for residence of a Minister and the members of his family and his servants including all fixtures and fittings for electric and water supply and for sanitary purposes:

Provided further that each Minister shall immediately after the expiration of the period referred to in the foregoing proviso vacate such official residence, failing which, notwithstanding anything contained in the Rajasthan Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1964 (Rajasthan Act 2 of 1965) or any other law for the time being in force, an officer authorised by the State Government in this behalf may take possession of the official residence together with the furniture and may for the purpose use such force as may be necessary in the circumstances; and in case any delay in so taking possession is caused due to any resistance offered by the Minister or anybody on his behalf, whether on the strength of any stay order or otherwise, for so long as the resistance continues, the Ministers shall be liable to pay, as damages for the use and occupation of the official residence, such

amount not exceeding rupees five thousand per month as may be notified by the Government from time to time.

Explanation.- For the purpose of this sub-section 'Minister' includes a person who has ceased to be a Minister, and also includes a person who was given the status of a Minister.

(2) to (3) xx xx xx xx xx xx
XX XX XX XX XX XX XX

2019 का विधेयक सं. 18

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 5 का संशोधन.- राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43) की धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक ऐसी रकम देने का दायी होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये प्रतिदिन देने का दायी होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह देखा गया है कि भूतपूर्व मंत्री उनको आवंटित शासकीय निवास विहित कालावधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी खाली नहीं करते हैं। इससे नये नियुक्त मंत्रियों को यथोचित निवास आवंटित करने में कठिनाई होती है। विद्यमान उपबंध के अनुसार, भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा दो मास की विहित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् शासकीय निवास खाली नहीं करने पर, मंत्री उसके उपयोग और अधिभोग के लिए नुकसानी के रूप में पांच हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक रकम देने के दायी हैं। यह रकम बहुत कम है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि यदि भूतपूर्व मंत्री पूर्वोक्त विहित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् शासकीय निवास खाली नहीं करता है तो वह ऐसे शासकीय निवास के उपयोग और अधिभोग के लिए दस हजार रुपये प्रतिदिन की दर से नुकसानी संदत्त करने का दायी होगा। तदनुसार, संशोधन प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

5. निवास स्थान तथा सवारी.- (1) धारा 3 में निर्दिष्ट तारीख से प्रत्येक मंत्री, राज्य सरकार से किराये या अन्य प्रभार के संदाय के बिना, अपनी समूची पदावधि भर-

(क) जयपुर में शासकीय निवास और फर्नीचर, तथा

(ख) एक राजकीय कार,

के उपयोग का भी हकदार होगा और ऐसे निवास, फर्नीचर या कार के रखे जाने के संबंध में मंत्री पर वैयक्तिक तौर पर कोई प्रभार नहीं होगा:

परन्तु प्रत्येक मंत्री, जब वह मंत्री न रहे तब से दो मास की कालावधि तक किराये या अन्य प्रभार के संदाय के बिना जयपुर में एक शासकीय निवास और फर्नीचर का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा और धारा 5-क के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "शासकीय निवास" से विद्युत् और जल प्रदाय के लिए और स्वच्छता के प्रयोजनों के लिए लगाये गये सभी फिक्सचरों तथा फिटिंगों को सम्मिलित करते हुए वह निवास-गृह, कर्मचारी आवास गृह, उप-गृह, और अनुलग्न अन्य भवन, मैदान तथा उद्यान अभिप्रेत है, जिसे मंत्री तथा उसके परिवार के सदस्यों और उसके सेवकों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथक् रखा गया हो:

परन्तु यह और कि प्रत्येक मंत्री, ऐसे शासकीय निवास को, पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट कालावधि के समाप्त हो जाने के पश्चात्, तुरन्त खाली कर देगा और इसमें विफल रहने पर, राजस्थान सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 (1965 का राजस्थान अधिनियम 2) में या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि

में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी फर्नीचर समेत ऐसे शासकीय निवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो परिस्थितियों में आवश्यक हो; और यदि इस प्रकार से कब्जा लेने में मंत्री द्वारा या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी रोक आदेश के बल पर या अन्यथा किये गये किसी भी प्रतिरोध के कारण कोई विलंब कारित किया जाये तो मंत्री, प्रतिरोध के जारी रहने तक, शासकीय निवास के उपयोग और अधिभोग के कारण, नुकसानी के रूप में पांच हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक ऐसी रकम देने का दायी होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ "मंत्री" में कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो मंत्री नहीं रह गया है, और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे किसी मंत्री की हैसियत दी गयी थी।

(2) से (3) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

2019 का विधेयक सं. 18

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(अशोक गहलोत, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 18 of 2019

THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAMIL KUMAR MATHUR,
Secretary.

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)